

प्रेषक,

तालेवर सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
एफ0टी0सी0-1, जनपद-कासगंज।

सेवा में,

श्री आशीष गर्ग एच.जे.एस.,
महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,1

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद-कासगंज।

विषय: - प्रार्थी द्वारा उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड से अचल सम्पत्ति खरीदने के संबंध में :-

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त विषयक मापन 300 वर्ग मीटर प्लॉट (तीन सौ वर्गमीटर प्लॉट) संख्या-ए-58, साइट-सी, जीटा-2 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 सूरजपुर, ग्रेटर नोयडा में स्थित, दिनांक-06.12.2018 को यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से क्रय करके पंजीकृत लीज डीड (Lease Deed- 79 वर्ष) की गई है। पूर्व में यह प्लॉट श्री विकास कुमार पुत्र श्री राजन कुमार निवासी जी-83 प्रीत विहार, नई दिल्ली को यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा लीज डीड (Lease Deed) के तहत आवंटित कर विक्रय किया गया था। बाद में श्री विकास कुमार द्वारा यह प्लॉट यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को वापिस (Lease Transfer) किया गया। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की अनुमति के फलस्वरूप उनको किया गया आवंटन, प्रार्थी एवं उसकी पत्नी श्रीमती अलका सिंह के नाम से पंजीकृत लीज डीड (Lease Deed) के नाम से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा सीधे प्रार्थी और उसकी पत्नी को वर्ष 2018 में लीज डीड (Lease Deed) पंजीकृत हुई। आवंटन एवं प्लॉट हस्तान्तरण के लिए प्रार्थी एवं पूर्व एलाटी (Allottee) श्री विकास कुमार के मध्य एक अनुबन्ध (संलग्न संख्या-ए) पत्र निष्पादित हुआ एवं पूर्व एलाटी (Allottee) विकास कुमार को धनराशि कुल रूपया 27,98,900/- (सत्ताईस लाख अट्ठानबे हजार नौ सौ रूपया) प्रदान की गयी, जिसका उल्लेख आगे निर्धारित प्रारूप पर दिया गया है। पूर्व एलाटी (Allottee) की इच्छा के अनुरूप यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा प्लॉट का नामांकन हस्तान्तरण पत्र दिनांक-20.11.2018 (संलग्न संख्या-बी) द्वारा नामांकन हस्तान्तरण प्रदान किया गया, जिसकी ट्रांसफर लेवी (Transfer Levy) रूपया 1630/- (एक हजार छः सौ तीस रूपया) स्क्वायर मीटर के आधार पर देना निश्चित हुआ। तत्पश्चात धनराशि का भुगतान करके उक्त प्लॉट का पंजीकृत लीज डीड (Lease Deed) प्रार्थी ने अपने व अपनी पत्नी के नाम यू0पी0एस0आई0डी0सी0 (विक्रेता) के द्वारा निष्पादित करा ली।

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-25 दिनांक-13.07.1998 के अनुसार बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है-

1. यह कि मेरी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल जज (जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट) दिनांक-14.06.2006 को नियुक्ति हुयी थी।

2. यह कि आहरण वितरण अधिकारी जनपद मुरादाबाद द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में मेरा माह सितम्बर 2018 के वेतन का कुल योग मु0-94,633/- (चौरानवे हजार छः सौ तैतीस रूपया) है। प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। आहरण वितरण अधिकारी जनपद कासगंज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार वर्तमान में मेरा कुल वेतनमान 1,76,692/- (एक लाख छिहत्तर हजार छः सौ बानबे रूपया) एवं टेक होम सैलरी 1,45,683/- (एक लाख पैतालिस हजार छः सौ तिरासी रूपया) है। जनपद कासगंज द्वारा जारी माह अक्टूबर 2021 के वेतनमान का प्रमाण पत्र संलग्न है, जो सी व डी के रूप में संलग्न है।
3. प्रार्थी द्वारा न्यायिक सेवा में आने के बाद पूर्व में निम्न सम्पत्तियों कय की गई हैं- (क) पूर्व में एक सेन्ट्रो कार रजि0 नं0-यू0पी0 13एम 7281, कीमत 3,50,000/- रूपये में अगस्त 2006 में कय की गई है। वर्तमान में यह कार पुरानी एवं चलने योग्य नहीं है।
(ख) पूर्व में एक फ्लैट 3 बी0एच0के0, कीमत 18,30,000/- रूपये, स्थित मोदीपुरम मेरठ अप्रैल 2014 में खरीदा गया है।
(ग) पूर्व में टाटा नेक्सोन कार रजि0 सं0- यू0पी0 15सी0 के0 8888, कीमत ऑन रोड-9,95,000/- रूपये, वर्ष 2017 में खरीदी गई है।
उपरोक्त क लगायत ग सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों की सूचनाएँ पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की गई हैं।
4. माननीय उच्च न्यायालय से इसे खरीदने के लिए किसी प्रकार की अग्रिम धनराशि प्राप्त नहीं की गयी।
5. प्रार्थी द्वारा बैंको से पूर्व में लिए गये लोन लगभग समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान में उपरोक्त प्लॉट को कय करने के लिए मेरे द्वारा रूपया 12,00,000/- (बारह लाख रूपया) का होम लोन जो कि 156 मासिक किस्तों में रूपया 12032/- (बारह हजार बत्तीर रूपया) प्रतिमाह की दर से चुकाने योग्य है एवं रूपये 12,00,000/- (बारह लाख रूपया) का होम लोन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक द्वारा लिया गया जो कि 156 मासिक किस्तों में रूपया 12819/- (बारह हजार आठ सौ उन्नीस रूपया) प्रतिमाह की दर से चुकाने योग्य है तथा रूपये 10,00,000/- (दस लाख रूपया) का व्यक्तिगत ऋण आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक से लिया गया, जो कि 60 मासिक किस्तों में रूपया 22,540/- (बाईस हजार पाँच सौ चालीस रूपया) प्रतिमाह की दर से चुकाने योग्य है। बैंक से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न संख्या-ई, एफ व जी है।
6. लागू नहीं।
7. प्लॉट संख्या-ए-58 साइट-सी, जीटा-2 ग्रेटर नोयडा, सूरजपुर क्षेत्रफल 300 स्क्वायर मीटर की पंजीकृत लीज डीड (Lease Deed) संलग्नक संख्या-एच है।
8. विक्रेता उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPSIDC) कासना, ग्रेटर नोयडा, जनपद-गौतम बुद्ध नगर है।
9. विक्रेता एक सरकारी संस्था है।
10. विक्रेता की मुझसे किसी भी प्रकार की नातेदारी एवं संबंध नहीं है तथा उसका कोई भी मुकदमा मेरे समक्ष न लगीबत है और न ही निर्णय किया गया है।
11. प्लॉट कय/लीज डीड (Lease Deed) के संबंध में अदा की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

A. श्री विकास कुमार, पूर्व एलाटी (Allottee) को रूपये 1,98,900/- (एक लाख अट्ठानबे हजार नौ सौ रूपया) द्वारा चेक सं0 110943 दिनांक 19.09.2018 स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा अदा

किये गये जो कि मेरी सैलरी सेविंग से थे। श्री विकास कुमार, पूर्व एलाटी (Allottee) को 15,00,000/- रुपये (पन्द्रह लाख रुपया), 9,00,000 रुपये (नौ लाख रुपया) एवं 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपया) द्वारा RTGS चेक सं० 000262 और चेक सं० 000263 दिनांक 01.11.2018 एवं 02.11.2018 द्वारा जिसका स्रोत होम लोन एवं व्यक्तिगत ऋण था, जिसका उल्लेख कालम संख्या-5 में दिया गया है।


B. रुपया 5,37,900/- (पाँच लाख सैतीस हजार नौ सौ रुपया) ट्रांसफर लेवी (Transfer Levy) के रूप में UPSIDC को एवं रुपया 3,99,100/- (तीन लाख निन्यानवे हजार सौ रुपया) स्टाम्प ड्यूटी के लिए प्रार्थी द्वारा अदा किया गया जिसका स्रोत मेरी पत्नी द्वारा सोने के पुराने आभूषण विक्रय धनराशि रुपया 3,17,439/- (तीन लाख सत्रह हजार चार सौ उनतालिस रुपया) प्राप्त किये गये। गोल्ड विक्रय की रसीद संलग्न है, जो कि आई है।

महोदय यह भी निवेदन करना है कि मेरे द्वारा उपरोक्त जो धनराशि इस प्लॉट को क़य/लीज डीड (Lease Deed) करने के बावत खर्च की गई है, जिसमें कि पूर्व एलाटी (Allottee) को प्रीमियम स्वरूप अदा की गयी धनराशि भी सम्मिलित है, जिसका यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा निष्पादित लीज डीड (Lease Deed) में प्राप्त की गयी धनराशि का उल्लेख रुपया 9,05,475/- (नौ लाख पाँच हजार चार सौ पचहत्तर रुपया) है, जो कि वह मूल्य है जिस पर यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा पूर्व एलाटी (Allottee) को सम्पत्ति आवंटित की गयी थी।

महोदय, यह सूचना प्रार्थी द्वारा सन् 2019 में जनपद मुरादाबाद से जनपद कासगंज में स्थानान्तरण के कारण एवं कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से, बादहू प्रार्थी के कोविड-19 महामारी से ग्रसित होने एवं अन्य विषम परिस्थितियों के कारण काफी विलम्ब से सूचना प्रेषित की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रेषित उपरोक्त विषयक सूचना पर सहानुभूतिपूर्ण विचार कर, स्वीकृत किया जाकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक-04.01.2022

भवदीय


अपर जिला एवं सत्र जज्याधीश/
एफ०टी०सी०-1, जनपद-कासगंज।